पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)

POWERGRID BHADLA TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

पता: मकान नं. 451, अचलवंशी कॉलोनी, जैसलमेर (राजस्थान) - 345001
Address: House No. 451, Achalvanshi Colony, Jaisalmer (Rajasthan) – 345001 CIN:U40108DL2020GOI364227

संदर्भ : पी.बी.टी.एल**/आर. टी. आई./**230**7/** दिनांक:16.04.2024

सेवा में,

श्री रायमलसिंह राठोड,
पुत्र श्री रामसिंह, गाँव एवं पोस्ट आमला,
तहसील लोहावट, जिला फलोदी,
राजस्थान-342308 (मो. न. 9950355094)

विषय **:आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 01/03/2024 के संदर्भ में ।**

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2024 जिसके अनुसार आपने बिंदु न.1 से 6 तक सूचना चाही है । आपके द्वारा चाही गई बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु संख्या	बिंदु अनुसार मांगी गयी जानकारी	पावरग्रिड द्वारा दी गयी सूचना
1.	टावर का फाउंडेशन मापदंड, मटेरियल की गुणवत्ता का विवरण की कोपी उप्लब्ध करावे।	मांगी गई जानकारी व्यापक जनहित में खुलासा करने से सम्बंधित नही है और कम्पनी के कार्य हित में गोपनीय तकनीकी पैरामिटर के दायरे में भी है इसलिए आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (d) के तहत नही दी जा सकती ।
2.	विधुत लाइंस से ग्रामीण जनों के मकानों की दूरी।	सी. ई. ए. गाइडलाईंस संलग्न।
3.	पूर्व में खडे किये गए टावर व किसानो को दिए गए मुआवजा भुगतान की जानकारी प्रत्येक किसान का नाम, खसरा नंबर, भुगतान की राशि, गाँव का नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देने ।	मांगी गई जानकारी व्यापक जनहित में खुलासा करने से सम्बंधित नही है और जानकारी प्रत्येक किसान कि निजी जानकारी है। जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (g) एवं (j) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है । इसके उपरांत भी आर. टी. अधिनियम की पालना करने की क्रम में आप अगर किसी विशेष किसान की जानकारी चाहते है तो उस किसान का नाम व पता इत्यादि बताया जाए जिससे कि उस किसान से नियम 11(1) के तहत सहमति प्राप्त कर आपको जानकारी दी जा सके ।

4.	फाउंडेशन की ड्रोइंग, एक टावर खडा करते समय उपयोग में ली गयी जमीन फुटों में जानकारी देने ।	फाउंडेशन ड्राइंग से सम्बंधित जानकारी व्यापक जनहित में खुलासा करने से सम्बंधित नही है । फुटों की जानकारी टावर के प्रकार पर निर्भर करती है, इसलिए आप सम्बंधित कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी ले सकते है ।
5.	प्रत्येक टावर खडा करने में कितनी सीमेंट, पानी, कोंक्रिट उपयोग किया जा रहा है उसकी जनकारी देने।	इस संदर्भ में आपको बताना चाहते है कि मांगी गई जानकारी तकनीकी पैरामिटर के दायरे में है फिर भी आप यह जानकारी सम्बंधित कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते है ।
6.	टावर निर्माण की गुणवत्ता का प्रतिशत उप्लब्ध करावे ।	मांगी गई जानकारी व्यापक जनहित में खुलासा करने से सम्बंधित नही है और कम्पनी के कार्य हित में गोपनीय तकनीकी पैरामिटर के दायरे में भी है इसलिए आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (d) के तहत नही दी जा सकती ।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी
वर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

एस.के. मिश्रा 16/04/24

[एस.के. मिश्रा]
मुख्य महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., फोन न.9437159931